Gaatha, Vol.-2; Issue-1 (Jan.-June) 2025 : PP-15-16

गाथा (GAATHA)

स्त्री अस्मिता और विमर्श की सहकर्मी-समीक्षित, अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका

ISSN : 3049-3463(Online)

Vol.-2; Issue-1 (Jan.-June) 2025

Page No.- 15-16

©2025 Gaatha

https://gaatha.net.in

Author :

डॉ. मुकेश कुमार राम

असिस्टेंट प्रोफेसर,

स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग,

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा.

Corresponding Author :

डॉ. मुकेश कुमार राम

असिस्टेंट प्रोफेसर,

स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग,

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा.

संपर्क भाषा हिंदी

प्रत्येक भाषा का विकास बोली से आरंभ होता है और बोली जब भावाभिव्यक्ति की क्षमता ग्रहण कर साहित्य की भाषा बनती है, तो उसके विकास का पता लगाना जटिल हो जाता है। हिंदी साहित्य का विकास कब और कैसे हुआ इसका पता लगाना अत्यंत दुरुह और दुष्कर है। इसके अनेक कारण हैं। बोली को साहित्य का रूप धारण करने में शादियों का समय बीता होगा और उसे लंबे काल का साहित्य लिखित नहीं मौखिक रहा होगा।

हमारी हिंदी भाषा का सीधा लगाव अपभ्रंश प्राकृत और संस्कृति से है। संस्कृत भाषा के बाद प्राकृत भाषा का और उसके बाद फिर अपभ्रंश भाषाओं का विकास किस प्रकार युग की आवश्यकताओं की पूर्ति में धीरे-धीरे होता गया, यह एक लंबी और रोचक कहानी है। इसमें हमें इतना ही याद रख लेना है कि हिंदी भाषा संस्कृत का गूढ़ दर्शन और चिंतन तथा प्राकृत और अपभ्रंश का ऊर्जस्वित जीवन विरासत के रूप में ग्रहण किया है। यह भी ध्यान में रखना होगा कि हिंदी की प्राचीनतम रूप अपभ्रंश से मिलता जुलता होगा क्योंकि हिंदी उसकी गोद से धीरे-धीरे खड़ी हुई। इधर साहित्यान्वेषियों ने अनेक प्राचीन ग्रंथों का पता लगाया है और उन पर अनेक निष्कर्ष दिए हैं। ऐसे विद्वानों में पंडित हर प्रसाद शास्त्री (बौद्ध गान और दोहा के लेखक) डॉक्टर शहीदुल्ला/ चाट्स मिस्टीक्स कान्ह एण्ड सरह के लेखक) डॉक्टर प्रमोद चंद्र बागची अनेक दोहा कोषों के संकलन कर्ता) तथा पंडित राहुल सांकृत्यायन(गंगा पुरातत्ववांक में हिंदी के आदि कवि तथा पुरातत्व निबंधावली के लेखक मुख्य हैं।

भारत की भाषाओं में हिंदी एकमात्र भाषा है जो सारे देश में ही नहीं विदेशों में भी बोली और समझी जाती है। हिंदी एकमात्र भारतीय भाषा है जिसमें उस भाषा के क्षेत्र के बाहर के साहित्यकारों ने इतना साहित्य लिखा है। कुछ नामों में (बंगाल के) कुछ नाम में बंगाल के क्षिति मोहन सेन, मंथनाथ गुप्त(महाराष्ट्र के) सेवड़े, मचावे गजानन माधव मुक्तिबोध आदि (तमिलनाडु के) श्रीनिवासाचारी हंस, राजलक्ष्मी राघवन,डॉक्टर गोपालन, डॉक्टर शंकर राजू(आंध्र प्रदेश) बालकृष्ण राव, बाल किशोरी रेड्डी, रमेश चौधरी, आलूरी बैरागी चौधरी, हृषिकेश शर्मा, सत्यनारायण (केरल के) चंद्रहासन, डॉक्टर भास्करन(पंजाब के) यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क इत्यादि इत्यादि उल्लेखनीय हैं। मोटूरी सत्यनारायण को दक्षिण का टंडन कहा जाता है।

दक्षिण के आचार्यों ने हिंदी के आदिकाल से ही अनुभव किया था कि इस भाषा के माध्यम से वे सारे देश के जन जन तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। वल्लभाचार्य,

विट्ठल दास, रामानुज, रामानंद आदि इसकी राष्ट्रीय महता को समझकर इसे अपने व्यवहार में लाते रहे। दक्षिण में राष्ट्र कूटों और यादवों का जब राज्य स्थापित हुआ, तब वहां हिंदी का प्रचार हुआ। व्यपार के लिए दक्षिण और उत्तर के संबंध व्यापक स्तर पर हुआ। मुस्लिम साम्राज्य के दक्षिण भारत में विस्तार के साथ हिंदी आंध्र, कर्नाटक आदि प्रदेशों में फैली। अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही उत्तर के राज कर्मचारी, सैनिक और व्यपारी दक्षिण भारत में फैल गए थे। अहमदनगर , बीजापुर, गोलकुंडा और बिदार में राजकाज की भाषा हिंदी थी। वहां प्रचुर साहित्य लिखा गया। महाराष्ट्र के महानुभाव पंथ के कवियों द्वारा हिंदी के प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं। मुगल काल में फारसी राजभाषा हो गई किंतु हिंदी का प्रयोग शासन में वैकल्पिक रुप से होता था। जनता ने हिंदी ही सर्वदेशिक भाषा थी। मुगल बादशाह के शासनकाल में ही नहीं इससे पहले भी सभी सरकारी कागजात हिंदी में लिखें जाते थे। साहित्य और शिक्षा का माध्यम भी व्यापक और सर्वदेशिक रूप से हिंदी ही थी।

19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार जोरों पर हुआ। ईसाई मिशनरियों ने तो पहले से ही अपने प्रचार का अखिल भारतीय माध्यम हिंदी को बनाया हुआ था।

कंपनी सरकार के शासकीय कार्य के लिए हिंदी सीखने का कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज खोला वह इस आवश्यकता और वस्तु स्थिति का प्रमाण है कि आधुनिक भाषाओं में हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके बिना कोई सर्वदेशिक कार्य नहीं हो सकता।

थियोसोफिकल सोसायटी की संस्थापिका ऐनी वेसेंट ने कहा था, भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएं बोली जाती है, उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सभी भाषाओं की अपेक्षा एक बड़ी भारी विशेषता है, वह यह कि उसका प्रचार सबसे अधिक है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मिल सकते हैं। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।

महात्मा गांधी कहते थे हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं; राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जिसे अधिक संख्यक लोग जानते बोलते हों, जो सीखने में सुगम हो जिसके द्वारा भारतवर्ष के धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवहार मिल सके।

दक्षिण भारत की तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगू भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। दक्षिण के तीर्थ स्थानों में हिंदी का व्यवहार बराबर होता आया है। अखिल भारतीय सेनाओं, व्यपार यातायात, शिक्षा आदि के कारण लाखों दक्षिणात्य परिवार हिंदी से परिचित हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की परीक्षाओं में इस समय तक लगभग 80 लाख विद्यार्थी बैठ चुके हैं। 1929 ई. में ही राज गोपालाचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सीख दी थी। सर टी.विजय राघवाचार्य ने कहा चाहे व्यवहारिक दृष्टि, सैद्धांतिक दृष्टि या राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए, हिंदी का कोई दूसरा प्रतिद्वंदी संभव नहीं है। जस्टिस कृष्ण स्वामी अच्चर और महामहिम अनंत शयनम अयंगर मानते हैं कि हिंदी ही उत्तर भारत और दक्षिण को जोड़ने वाली समर्थ भाषा है।

यह बात मानी जा चुकी है कि स्वतंत्र और जन तंत्रात्मक देश की एक राष्ट्र भाषा होनी ही चाहिए। वह भाषा जन- जन की भाषा ही हो सकती है, क्योंकि वही उनके संस्कारों, भावों और विचारों की निजी भाषा है। देश स्वतंत्र हुआ है तो मानसिक दासता भी नहीं रहेगी। हमें विदेशी भाषा की दासता से भी मुक्त होना पड़ेगा। यह तो हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है। अंग्रेजी हमारी परापराधीन का अवशेष है, इसके रहते रुस, जापान मिस्त्र आदि देश हमारी बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धता पर संदेह करते हैं। हिंदी भारत की सांस्कृतिक भाषा है, हमारी राष्ट्रीय चेतना की भाषा है। यदि सभी भारतीय इसका व्यवहार नहीं करेंगे तो बेबल का मीनार बनाने वाले की सी दुर्दशा हमारी भी होगी।

संदर्भ ग्रंथ :

1. आचार्य रामचंद्र शुक्ल -हिंदी साहित्य का इतिहास
2. डॉ. भोलानाथ तिवारी-भाषा विज्ञान
3. डॉ. हरदेव बाहरी-उद्भव, विकास और रुप
4. सत्यनारायण मिश्र -हिंदी साहित्य का इतिहास
5. डॉ. नागेंद्र -हिंदी साहित्य का इतिहास

•